रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122024-259204
CG-DL-E-06122024-259204

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 690]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 2024/ अग्रहायण 14, 1946
No. 690]	NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 2024/ AGRAHAYANA 14, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसंबर, 2024

सा.का.नि. 752(अ).— अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उप-धारा (2) के खंडों (जेडवी) और (जेडजेडए) के साथ पठित धारा 7 और धारा 80 की उप-धाराओं (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा दिनांक 07 जून, 2022 के सा.का.नि सं.423 (ई) के माध्यम से अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान (चालकदल और यात्री आवास) नियम, 2022 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस पर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 547, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल द्वारा ajay.sirohi@nic.in और uttam.mishra27@gov.in पर ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;

मसौदा संशोधन

1. (1) इन नियमों को अंतर्देशीय जलयान (चालकदल और यात्री आवास) (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 कहा जा सकेगा।
   (2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. अंतर्देशीय जलयान (चालकदल और यात्री आवास) नियम, 2022 (यहां बाद में उक्त नियम के रूप में संदर्भित) में नियम 2 के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत:-
   "स्पष्टीकरण. - इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, 24 मीटर से अधिक के जलयानों के सकल टन भार की गणना पोतों के टनभार माप पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1969 के अनुसार की जाएगी, जबकि 24 मीटर से कम के जलयानों के सकल टनभार की गणना वाणिज्य नौवहन (पोतों के टनभार माप) नियम, 1991 के नियम 2 के अनुसार की जाएगी।"
3. उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) में अंक "0.60" के लिए, अंक "0.36" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. उक्त नियमों के नियम 23 के उप-नियम (3) में निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-
   "(3) 15 मिनट से अधिक और 60 मिनट या उससे कम की यात्राओं पर चलने वाले अंतर्देशीय जलयानों को अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन और निर्माण नियम), 2024 में दी गई स्थिरता आवश्यकताओं के अनुरूप, 50% यात्रियों हेतु बैठने की व्यवस्था प्रदान करने की आवश्यकता है;
   बशर्ते कि सामान्य परिचालन में गति और त्वरण के कारण खड़े रहना कठिन न हो।"
5. उक्त नियमों के नियम 24 में
   i. उप-नियम (1) में निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थपित किया जाएगा, नामत: -
      "पहुंच, एकत्रीकरण, गलियारे तक पहुंच और निकास के लिए न्यूनतम 750 मिलीमीटर चौड़ाई के उपयुक्त स्पष्ट स्थान की अनुमति दी जाएगी।"
   ii. उप-नियम (4) में, अंक "1600" के लिए अंक "1300" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
   iii. उप-नियम (5) में,
      क) अंक "680" के लिए अंक "650" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
      ख) अंक "310" के लिए अंक "230" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
   iv. उप-नियम (6) में, अंक "620" के लिए अंक "480" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

6. उक्त नियमों के नियम 26 के उप-नियम (6) में,-
   i. शब्दों "अथवा व्यक्तिगत इकाई प्रकार" को विलोपित किया जाएगा;
   ii. खंड (ख) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत:-
      "बशर्ते कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 300 जी.टी. से कम वजन वाले श्रेणी क जलयानों को मामला-दर-मामला आधार पर उपरोक्त आवश्यकता से छूट दी जा सकती है।"

6. उक्त नियमों के नियम 31 में, उप-नियम (4) में, अंक "30" के लिए अंक "60" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं.आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी(5)]

डॉ. कमला कान्ता नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi , the 5th December, 2024

G.S.R. 752(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of Section 7 and Section 80 read with clauses (zv) and (zza) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), the Central Government proposes to amend the Inland Vessels

(Crew and Passenger Accommodation) Rules, 2022 notified by the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways vide number G.S.R. 423(E) dated the 7th June, 2022 and hereby publish as required by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021) for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 251, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at ajay.sirohi@nic.in and uttam.mishra27@gov.in within the period specified above;

Draft Amendment

1. (1) These rules may be called as the Inland Vessels (Crew and Passenger Accommodation) (First Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Vessels (Crew and Passenger Accommodation) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), after clause (c) of rule 2, the following explanation shall be inserted, namely. –
"Explanation. - For the purpose of this sub-rule, Gross Tonnage of vessels above 24 meters shall be calculated according to International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 whereas Gross Tonnage of vessels less than 24 meters shall be calculated according to Rule 2 of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1991."

3. In sub-rule (1) of rule 20 of the said rules, for the figure "0.60", the figure "0.36" shall be substituted.

4. In sub-rule (3) of rule 23 of the said rules, the following sub-rule shall be substituted, namely. –

"(3) Inland vessels operating on voyages of more than 15 minutes and upto 60 minutes or less need to provide seating for 50 % of passengers, in accordance with the stability requirements given in Inland Vessels (Design and Construction Rules), 2024;

Provided that the motions and accelerations in all normal operation would not make standing difficult."

5. In rule 24 of the said rules:

i. In sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely. –
"Suitable clear space shall be allowed for access, assembly, corridor access and escape with a minimum width of 750 millimetres being provided."

ii. in sub-rule (4), for the figure "1600", the figure "1300" shall be substituted;

iii. in sub-rule (5),

  i. for the figure "680", the figure "650" shall be substituted;

  ii. for the figure "310", the figure "230" shall be substituted;

iv. in sub-rule (6), for the figure "620", the figure "480" shall be substituted.

6. In sub-rule (6) of rule 26 of the said rules:

i. the words "or individual unit type" shall be omitted;
ii. in clause (b), the following proviso shall be inserted, namely. –
"Provided that an exemption from the above requirement may be given, on a case-to-case basis by the Designated Authority to Category A vessels of less than 300 GT."

7. In rule 31 of the said rules, in sub-rule (4), for the figure "30", the figure "60" shall be substituted.

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(5)]

Dr. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.12.06 14:12:34 +05'30'